

ऑनलाईन पंजीयन/आवंटन की प्रक्रिया (स्ववित्तीय आधार पर)

नियम एवं शर्तें...

1. नियत समयवधि में जितने भी पंजीयन प्राप्त होंगे उन सभी पंजीयन कर्ताओं को ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से भवन आवंटित किये जावेंगे।
2. यदि पंजीयनकर्ता ऑनलाईन लॉटरी से आवंटित भवन को स्वीकार नहीं करता है तो नियमानुसार मण्डल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन राशि कटौति/राजसात की जाकर शेष राशि लौटाई जावेगी तथा कोई भी व्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
3. ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है एवं हर परिस्थिति में ऑनलाईन लॉटरी के प्रक्रिया ही मण्डल की ओर से मान्य होगी।
4. लॉटरी मण्डल नियमानुसार प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा की जावेगी जिसमें किसी भी प्रकार का मैन्यूअल व्यवधान/हस्तक्षेप नहीं होगा।
5. मण्डल द्वारा भवन आवंटन/ऑनलाईन लॉटरी मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया जावेगा।
6. ऑनलाईन पंजीयन अंतर्गत पंजीयनकर्ता स्वयं की जानकारी प्रविष्ट कर मण्डल नियमानुसार निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने पश्चात् पेमेंट गेट-वे के माध्यम से RTGS/NEFT/NET BANKING/UPI/DEBIT CARD/CREDIT CARD द्वारा भुगतान कर सकता है।
7. राजीव नगर आवास योजना में ई.डब्ल्यू.एस. भवन हेतु 3 लाख एवं एल.आई.जी भवन हेतु 6 लाख तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र देय होगा।
8. आवेदक द्वारा परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार का मैन्यूअल पंजीयन/डाक/ऑफलाईन फार्म/अपूर्ण जानकारी/अपूर्ण भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर किसी भी समय भवन आवंटन निरस्त करने हेतु मण्डल सक्षम होगा।
9. ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु मण्डल नियमानुसार दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट साईज फोटो, आय प्रमाण-पत्र, वर्ग सम्बंधी प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
10. भवनों के आवंटन/लॉटरी में समय-समय पर मण्डल द्वारा जारी किये गये परिपत्रों/नियमों का पालन किया जावेगा।





सीनियर एच.आई.जी
(डुप्लेक्स)

भवनों की संख्या - 18

AREA STATEMENT FOR SINGLE UNIT

Plot Area - 12.00 x 18.00 Mtr. = 216 SQM (2324.16 Sq Ft)

Builtup Area - 191.60 SQM (2061.60 Sqft)

पंजीयन राशि

9.93 लाख

नोट - भवन के मूल्य का गणना मानक भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है। यदि स्थल की वास्तविक परिस्थिति के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या कमी होती है तो भवन के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी मण्डल द्वारा तय दर के अनुसार किया जावेगा।



एच.आई.जी (डुप्लेक्स)

भवनों की संख्या - 31

AREA STATEMENT FOR SINGLE UNIT

Plot Area - 11.00 x 15.00 Mtr. = 165 SQM (1775.40 Sq Ft)

Builtup Area - 146.29 SQM (1574.08 Sqft)

पंजीयन राशि

7.40 लाख



नोट- भवन के मूल्य की गणना मानक भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है। यदि स्थल की वास्तविक परिस्थिति के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या कमी होती है तो भवन के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी मण्डल द्वारा तय दर के अनुसार किया जावेगा।



एम.आई.जी
(डुप्लेक्स)
भवनों की संख्या - 69
AREA STATEMENT FOR SINGLE UNIT
Plot Area - 9.00 x 16.00 Mtr. = 144 SQM (1549.44 Sq Ft)
Builtup Area - 121.73 SQM (1309.81 Sqft)

पंजीयन राशि
5.46 लाख

नोट - भवन के मूल्य की गणना मानक भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है। यदि स्थल की वास्तविक परिस्थिति के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या कमी होती है तो भवन के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी मण्डल द्वारा तय दर के अनुसार किया जावेगा।



एल.आई.जी

भवनों की संख्या - 64

AREA STATEMENT FOR SINGLE UNIT

Plot Area - 7.50 x 12.00 Mtr. = 90 SQM (968.40 Sq Ft)

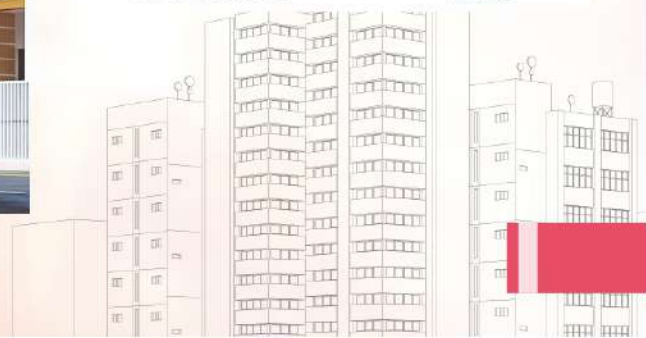
Builtup Area - 53.96 SQM (580.60 Sqft)

पंजीयन राशि

0.50 लाख



नोट- भवन के मूल्य की गणना मानक भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है। यदि स्थल की वास्तविक परिस्थिति के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या कमी होती है तो भवन के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी मण्डल द्वारा तय दर के अनुसार किया जावेगा।





ई.डब्ल्यू.एस.

भवनों की संख्या - 95

AREA STATEMENT FOR SINGLE UNIT

Plot Area - 6.00 x 9.00 Mtr. = 54.00 SQM (581.04 Sq Ft)

Builtup Area - 32.33 SQM (347.87 Sqft)

पंजीयन राशि

0.25 लाख

नोट - भवन के मूल्य की गणना मानक भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है। यदि स्थल की वास्तविक परिस्थिति के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या कमी होती है तो भवन के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी मण्डल द्वारा तय दर के अनुसार किया जावेगा।



योजना अंतर्गत प्रस्तावित स्वतंत्र आवासीय भवनों एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण

भवन का प्रकार	कुल भवन	भूखण्ड क्षेत्रफल		प्लॉथ क्षेत्रफल		पंजीयन शुल्क (राशि रुपये में)
		(वर्ग मी.)	(वर्ग फीट)	(वर्ग मी.)	(वर्ग फीट)	
ई.डब्ल्यू. एस.	95	54	581.04	32.33	347.87	0.25 लाख
एल.आई.जी	64	90	968.40	53.96	580.60	0.50 लाख
एम.आई.जी (डुप्लेक्स)	69	144	1549.44	121.73	1309.81	5.46 लाख
एच.आई.जी (डुप्लेक्स)	31	165	1775.40	146.29	1574.08	7.40 लाख
सीनियर एच.आई.जी (डुप्लेक्स)	18	216	2324.16	191.60	2061.61	9.93 लाख
यूटिलिटी शॉप (भूतल)	18	-	-	13.53	145.58	1.45 लाख
यूटिलिटी शॉप (प्रथम तल)	18	-	-	13.53	145.58	0.70 लाख

सम्पर्क - कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग/प्रक्षेत्र- दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय का पता - कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पदमनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)

मो. : 9479081105, 9424209025, 9425577575, 9407934008, 7024101786, 9755405252, 9827927780

www.cgmb.gov.in

टोल फ्री नं. 18001216313

SPECIAL NOTE:

THIS BROCHURE IS ARTISTS IMPRESSIONS & NOT A LEGAL OFFERING. ALL SPECIFICATIONS, SIZE & LAYOUT ETC. ARE TENTATIVE & SUBJECT TO SUCH VARIATIONS, ADDITIONS AND MODIFICATIONS AS DECIDED BY THE ARCHITECTS OR BY THE C.G. HOUSING BOARD.